भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3352

21 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए नियत

"चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना"

3352. श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फेम इंडिया योजना के द्वितीय चरण और राष्ट्रीय ऑटो नीति के तहत हासिल किए जाने हेतु उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र सहित देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कोई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि वर्तमान में निजी कंपनियां देश में चार्जिंग स्टेशन स्थापित नहीं कर सकती हैं, क्योंकि बिजली की बिक्री लाइसेंस प्राप्त किए जाने के बाद किया जाने वाला कार्यकलाप है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क): भारी उद्योग मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण स्कीम, चरण-II (फेम इंडिया,चरण-II) नामक स्कीम तैयार की है जिसके लिए कुल बजटीय सहायता 10,000 करोड़ रुपये है। यह चरण मुख्य रूप से सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण हेतु सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है, और इसका उद्देश्य मांग प्रोत्साहन के माध्यम से 7090 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहियों, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों के ख़रीदारों को सहायता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, स्कीम के अंतर्गत चार्जिंग अवसंरचना के सृजन हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है।

(ख): विद्युत मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का महाराष्ट्र सहित राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में है।

(ग) और (घ): विद्युत मंत्रालय ने 13.04.2018 को विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के संदर्भ में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना संबंधी स्पष्टीकरण जारी किया। यह स्पष्ट किया गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग के लिए बैटरी चार्ज करने के कार्य के दौरान चार्जिंग स्टेशन बिजली के पारेषण, वितरण या व्यापार में से ऐसा कोई भी कार्य निष्पादित नहीं करता जिसके लिए अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत (विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 12 की तुलना में) लाइसेंस की आवश्यकता होती है। अतः, चार्जिंग स्टेशन के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी चार्ज करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अंतर्गत किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। विद्युत मंत्रालय केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना तैयार करने के लिए अधिदेशित है और इसने इसके लिए पुनरीक्षित समेकित दिशानिर्देश और मानक 14.01.2022 को (07.11.2022 को संशोधित) जारी किए हैं।

इसके अतिरिक्त, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अपेक्षित चार्जिंग अवसंरचना में सुधार के लिए सरकार ने निम्नलिखित पहलें भी की हैं -

(i) विद्युत मंत्रालय ने चार्जिंग अवसंरचना मानकों पर एक अधिसूचना जारी कर आवासों और कार्यालयों में निजी चार्जिंग की अनुमति दी है।

(ii) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने निजी और वाणिज्यिक भवनों में चार्जिंग स्टेशन और अवसंरचना स्थापित करने के लिए मॉडल भवन बाईलॉज, 2016 में संशोधन किया है।

*****

अनुलग्नक

राज्यवार प्रचालनरत सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस)

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रचालनरत पीसीएस की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	3
2	आंध्र प्रदेश	222
3	अरुणाचल प्रदेश	9
4	असम	48
5	बिहार	83
6	चंडीगढ़	6
7	छत्तीसगढ़	46
8	दिल्ली	1845
9	गोवा	44
10	गुजरात	195
11	हरियाणा	232
12	हिमाचल प्रदेश	27
13	जम्मू और कश्मीर	24
14	झारखण्ड	60
15	कर्नाटक	704
16	केरल	192
17	लक्षद्वीप	1
18	मध्य प्रदेश	174
19	**महाराष्ट्र**	**660**
20	मणिपुर	16
21	मेघालय	19
22	नागालैंड	6
23	ओडिशा	117
24	पुदुचेरी	4
25	पंजाब	126
26	राजस्थान	254
27	सिक्किम	1
28	तमिलनाडु	441
29	तेलंगाना	365
30	त्रिपुरा	18
31	दादर और नगर हवेली तथा दमण और दीव	1
32	उत्तर प्रदेश	406
33	उत्तराखंड	48
34	पश्चिम बंगाल	189
कुल		**6586**